



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक-3257/कु0का0/2024

दिनांक-16/04/2024

संशोधित कार्यालय आदेश

(तिथि विस्तारण-3)


माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2023-24 की समस्त पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., एलएल.बी., एलएल.एम., बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एससी.(Ag), एम.एससी.(Ag), के समस्त विषय द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर एवं भूतपूर्व छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://msdsu.ac.in> अथवा msdsuonline.in पर निम्न विवरण के अनुसार भरे जाएंगे।

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भिक तिथि	23.03.2024
2	निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	30.04.2024
3	महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्मों का शुद्धीकरण एवं सत्यापन	01.05.2024
4	विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर रोल लिस्ट उपलब्ध कराने की तिथि	02.05.2024
5	विश्वविद्यालय की वेबसाइट से विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की तिथि	03.05.2024
6	परीक्षा प्रारम्भ की तिथि: (परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी किया जायेगा)	09.05.2024

नोट-* महाविद्यालय परीक्षा फार्म के शुद्धीकरण/सत्यापन का कार्य फार्म भरे जाने की अवधि में साथ-साथ ही सम्पादित करते रहें।

उपरोक्त के क्रम में समस्त सम्बन्धित शासकीय/अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त तिथियों के अनुसार निर्धारित शुल्क सहित समस्त परीक्षा फार्म भरवाने की कार्यवाही सम्पन्न कराएं।

भवदीय


कुलसचिव 16.04.24

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को संज्ञानार्थ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/समस्त सम्बन्धित शासकीय/अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. ऑनलाइन एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित है, कि उक्त कार्यालय आदेश को महाविद्यालय के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा उपरोक्तानुसार आनलाइन परीक्षा फार्म भरवाने एवं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हेतु।
5. मीडिया प्रभारी को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

कुलसचिव